कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/26/ 03 भोपाल, दिनांक - 15/5/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका रायसेन
जिला - रायसेन

विषयः- वार्ड क्रं. 12 में श्री कल्लू मालवीय के मकान से श्री आनंद अहिरवार के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भः- Estimate No ES-0000438685 Project PW1-EN2-0280-25-002

—//—

विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के द्वारा वार्ड क्रं. 12 में श्री कल्लू मालवीय के मकान से श्री आनंद अहिरवार के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण के प्रेषित प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। सी.सी. रोड निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराकर तद्नुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्रं. 12 में श्री कल्लू मालवीय के मकान से श्री आनंद अहिरवार के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दि. 08.11.2025 से प्रभावशील	13,65,260.00
			जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	2,45,747.00
			कुल योग	16,11,007.00

शर्तें

मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा मटेरियल के लेवल लिये जावें। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावें।
सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चत करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें।
तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांरण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रुप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरुप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रुप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईज्ड/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म०प्र०म०न०पा०ले०नि० 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
15. [illegible] के लिए, बाधा रहित यातायात उपलब्ध कराया जाए। [illegible] यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावें।
16. [illegible] विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। [illegible] एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
17. [illegible] प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
18. [illegible] पंजीयन प्रमाण पत्र लेना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. [illegible] मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. [illegible] निर्माण कार्यों के दौरान निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि [illegible] पालन किया जावे एवं परीक्षण [illegible] भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक [illegible]

क्रमशः......2

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website ;-www.mpurban.gov.in

21. (MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. (MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी। कांक्रीट एम-20/30/40 कांक्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रीट हार्ड होने के पहले रोड की सेन्टरलाईन के परपेन्डिकुलर दोनो तरफ ब्रूमिंग की जावे।
24. तापमान 38 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य नही कराया जावे।
25. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
26. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
27. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
28. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी
29. सी.सी. रोड की मिक्स एवं क्रस्ट डिज़ाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तद्नुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जावे एवं यदि क्रस्ट डिज़ाईन एवं मिक्स डिज़ाईन से कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
30. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एंव अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रशासित कार्य कराया जावे। शर्तो का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
31. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
32. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudnal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जावे।
33. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
34. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
35. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying,compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level,thickness,surface regularity,texture finish,strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.)deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 02.08.2021.

15/4/26

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल संभाग, भोपाल

Project Details

Estimation Number: ES-0000438685	**Work:** CONST OF CC ROAD AT WARD NO 12 HOUSE OF KULLU MALVIYA TO HOUSE OF ANAND AHIRWAR
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	**Demand ID:** DM-0000438279
Department: Public Works	**PAC:** 1365260.0
Project No.:	**Gross:** 1611006.8

Activity - SOR / NON SOR and WBS Details

S. No.	SOR ITEM	Description	Details	Nos	Length	Breadth	Depth	Volume	Area	Weight	Quantity	Unit	Price/Unit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	200.0	4.0	0.1	80.0			80.0	M3	1059.0	84,720.00	18.0	99,969.60	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	200.0	4.0	0.1	80.0			80.0	M3	4598.0	367,840.00	18.0	434,051.20	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	200.0	4.0	0.2	160.0			160.0	M3	5916.0	946,560.00	18.0	1,116,940.80	
1	DNIV-6.2.3	Deduct from Item No 6.2.1 & 6.2.2 above if paver with electronic sensor/ mechanical paver, is not used and laying is done by any other metho		1.0	200.0	4.0	0.2	160.0			160.0	M3	-301.0	-48,160.00	18.0	-56,828.80	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.25							0.25	MT	57200.0	14,300.00	18.0	16,874.00	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	PW1-280-26-279	1,365,260.00
	Total PAC	1365260.0

GST: 245746.8

Gross: 1611006.8

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0000430685	**Work:** CONST OF CC ROAD AT WARD NO 12 HOUSE OF KULLU MALVIYA TO HOUSE OF ANAND AHIRWAR
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	**Demand ID:** DM-0000438279
Department: Public Works	**PAC:** 1365260.0
Project No.:	**Gross:** 1611006.8

Signature Not Verified Signed by: CHANDRAKESH GADPAL Reason: Project Approval Location: 0280 Date: 2026-04-15 14:43:20	Signature Not Verified Signed by: Kiran Rahangdale Reason: Project Approval Location: 0280 Date: 2026-04-15 14:48:26
Sub Engineer E-sign	**CMO E-sign**
AE E-sign	**SE Superintendent E-sign**
Signature Not Verified Signed by: Mr Sanjay Tiwari Reason: Project Approval Location: 0280 Date: 2026-04-13 15:17:22	Signature Not Verified Signed by: Mr Sudhir Garg Reason: Project Approval Location: 0280 Date: 2026-04-13 16:43:39
Sub Engineer Division E-sign	**AE Division E-sign**

Signature Not Verified
Signed by: BrijendraPrasad Verma
Reason: Project Approval
Location: 0280
Date: 2026-04-15 16:28:26

EE E-sign

Signature Not Verified

Digitally signed by ASHUTOSH SINGH
Date: 2026.05.06 18:41:14 IST
Location: Madhya Pradesh-MP